

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति दिनांक 30.05.2024 के आलोक में श्रीमती बेबी रानी, प्रधान सहायक का स्थानान्तरण निम्नानुसार कार्यालय सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार से जनपद देहरादून में जोन स्तर पर रिक्त प्रधान सहायक के पद पर किया जाता है।

क्रमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण उपरान्त नव तैनाती जनपद	स्थानान्तरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्रीमती बेबी रानी, प्रधान सहायक	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद डोईवाला जनपद देहरादून	23 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।

श्रीमती बेबी रानी, प्रधान सहायक का स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित समयवधि 07 दिवस के अन्दर वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होते हुये नव तैनाती जनपद/स्थान पर अधिकतम 10 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक डोईवाला जनपद देहरादून को प्रस्तुत करेंगी।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्तू)

आयुक्त

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांक 534/०/स्था०/वा०स्था० 2024-25 दिनांक : 1- जून 2024
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड काशीपुर।
3. सहायक गन्ना आयुक्त देहरादून/हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून/हरिद्वार।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक गन्ना आयुक्त देहरादून।
6. गार्ड पत्रावली।

आयुक्त

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 15 (2) अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति दिनांक 30.05.2024 के आलोक में निम्न गन्ना विकास निरीक्षकों का स्थानान्तरण स्तम्भ (3) से स्तम्भ (4) में उल्लिखित जोन/जनपद में स्थानान्तरण करते हुये तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम सर्वश्री	वर्तमान पदभार/ तैनाती स्थल	स्थानान्तरण उपरान्त नव तैनाती जोन/जनपद	स्थानान्तरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रमोद कुमार	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद नादेही ऊधमसिंह नगर	20 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
2.	आदित्य कुमार	गन्ना विकास परिषद किच्छा ऊधमसिंह नगर	गन्ना विकास परिषद लकसर हरिद्वार	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद ऊधमसिंह नगर में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।
3.	इब्राहिम	गन्ना विकास परिषद बाजपुर ऊधमसिंह नगर	गन्ना विकास परिषद इकबालपुर हरिद्वार	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।

सम्बन्धित कार्मिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित समयावधि 07 दिवस के अन्दर वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होते हुये नव तैनाती स्थान पर अधिकतम 10 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना सम्बन्धित ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्त)

आयुक्त

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

पत्रांक 573)C /स्था०/वा०स्था० 2024-25 दिनांक: 1- जून 2025

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड काशीपुर।
3. सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार।
5. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, इकबालपुर/लकसर/किच्छा/बाजपुर।
6. सम्बन्धित प्रभारी सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक गन्ना आयुक्त ऊधमसिंह नगर/हरिद्वार।
8. गार्ड पत्रावली।

आयुक्त

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 15 (2) के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा उपलब्ध कराई गई संस्तुति दिनांक 30.05.2024 के आलोक में श्री गौतम नेगी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का स्थानान्तरण निम्नानुसार कार्यालय गन्ना विकास परिषद लिब्वरहेड़ी जनपद हरिद्वार से जनपद ऊधमसिंह नगर में करते हुये स्तम्भ (4) पर उल्लेखित स्थान पर तैनात किया जाता है-

क्रमांक	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती स्थल	स्थानान्तरण उपरान्त नव तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का आधार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री गौतम नेगी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक	गन्ना विकास परिषद लिब्वरहेड़ी जनपद हरिद्वार	गन्ना विकास परिषद बाजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर	10 वर्ष से अधिक समय तक एक जनपद हरिद्वार में कार्यरत रहने के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत अनिवार्य स्थानान्तरण।

श्री गौतम नेगी, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 23 के अनुसार निर्धारित समयावधि 07 दिवस के अन्दर वर्तमान तैनाती स्थल से कार्यमुक्त होते हुये नव तैनाती जनपद/स्थान पर अधिकतम 10 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति की सूचना सहायक गन्ना आयुक्त, ऊधमसिंह नगर को प्रस्तुत करेंगे।

(चन्द्र सिंह धर्मशक्त)

आयुक्त

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,
उत्तराखण्ड, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)।

पत्रांक 5321 / स्था0/वा0स्था0 2024-25 दिनांक : 1 - जून 2024

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर।
3. सहायक गन्ना आयुक्त हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार/ऊधमसिंह नगर।
5. ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक, लिब्वरहेड़ी/बाजपुर।
6. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक गन्ना आयुक्त, हरिद्वार।
7. गार्ड पत्रावली।

आयुक्त

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग
उत्तराखण्ड